कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

//संशोधित आदेश//

क्रमांक/ 2867/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 22 /03/2020

WHO के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इसे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला रायगढ़ के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के** संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2864/न्या. लि./2020 दिनांक 20/03/2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

मेडिकल संस्थायें एवं मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पेयजल सुविधाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं **(आदेश दिनांक 20.03.2020 के पैरा 2 में उल्लेखित)** को छोड़कर **(जिनमें एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे)** अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक **31 मार्च, 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त** अनिवार्य रूप से बंद रखने (Lockdown) हेतु एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है।

टीपः– शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13/03/2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रांतर्गत **कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी** किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह आदेश सम्पूर्ण रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2867–ए /न्या.लि./कोरोना/2020 रायगढ़, दिनांक 22/03/2020

प्रतिलिपि : –

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमशः...2

4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर
   –– की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला–रायगढ़ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
7. सर्व अपर कलेक्टर, जिला–रायगढ़
8. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख, जिला–रायगढ़
   –– की ओर सूचनार्थ।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) जिला–रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगन रायगढ़
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला–रायगढ़
12. सर्व तहसीलदार जिला–रायगढ़
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला–रायगढ़
   –– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित, कृपया अपने–अपने क्षेत्रांतर्गत उक्त अपील का उचित माध्यम से सघन प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
14. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)